



28/2026/1/1223482/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

संयुक्त सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2026

विषय:- महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में क्लीनिकल ब्लॉक (एस+5 तल) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2025-26/223, दिनांक 13.08.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती सम्बद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में क्लीनिकल ब्लॉक (एस+5 तल) के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 4799.95 लाख (सैतालिस करोड़ निन्यानबे लाख पंचान्नबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-84-मेडिकल कालेज, बस्ती हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि ₹ 500.00 लाख के सापेक्ष ₹ 228.68 लाख (₹ दो करोड़ अठ्ठाईस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग के जनपद की वर्ष 2021 की शिड्यूल दरों, कुर्सी क्षेत्रफल दरें वर्ष 2020व डी०एस०आर०-2021 के आधार पर विस्तृत विश्लेषण के अनुसार लिया गया है, जो दरें इनमें उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाजार दरों के आधार पर लिया गया है। तदुसार लागत का परीक्षण किया गया है।
- (2) बाजार दरों में यथोचित कमी किये जाने के कारण लागत में ₹ 18.10 लाख की कमी हुई है।
- (3) सेन्टेज चार्ज नियमानुसार 8 प्रतिशत किये जाने के कारण ₹ 163.68 लाख की कमी हुई है।
- (4) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (5) प्रायोजना में पावर कनेक्शन हेतु ₹ 20.00 लाख यथावत् अनुमन्य किया गया है। विस्तृत आगणन उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किया जाये।
- (6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रधानाचार्य अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमर्दों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
 - (8) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
 - (9) प्रायोजन प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जायेगा।
 - (11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (12) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
 - (13) प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
 - (14) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
 - (15) प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
 - (16) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
 - (17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।
 - (18) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,28,68,000 (रुपये दो करोड़ अट्ठाइस लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक 42100310584 मेडिकल कालेज, बस्ती मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-237/दस-2025-26, दिनांक 28 जनवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- उपरोक्त, तयदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 1- महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
- 8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।